

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

क्रमांक/रीडर II/2019/1415-1417

दिनांक 3 अक्टूबर, 2019

वास्ते :-

जिला मजिस्ट्रेट
बारों

विषय :- प्रकरण संख्या 1/2019 अन्तर्गत राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2006 (राजपासा अधि०) की धारा 03 के तहत प्राप्त इस्तगासा स्थानान्तरित करने बाबत।

प्रसंग :- कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक जिला बारों के पत्र क्रमांक /एम.ओ.बी./बारों/2019/4023 दिनांक 22.8.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संलग्न इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 2006 (राजपासा अधि०) की धारा 03 के तहत, जिला मजिस्ट्रेट बारों के नाम गैरसायल फौजमल उर्फ फौज्या पुत्र राधाकिशन मीणा निवासी पचपाडा थाना छबडा जिला बारों के विरुद्ध प्राप्त हुआ है।

उक्त इस्तगासे का श्रवणाधिकार क्षेत्र जिला मजिस्ट्रेट बारों को होने से उक्त इस्तगासा इस न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है। जो मूल ही पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान् को भिजवाया जा रहा है।

संलग्न :- मूल इस्तगासा संख्या 1/2019

कुल किता 118 कादर

श्रीमान्

अति० जिला मजिस्ट्रेट
बारों ०/८

दिनांक 3 अक्टूबर, 2019

क्रमांक/रीडर II/2019/1415-1417

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारों को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ मे।
- 2- श्री बालमुकन्द गुर्जर अभिभाषक गैरसायल अभिभाषक परिषद बारों

अति० जिला मजिस्ट्रेट
बारों ०/८

